प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः- 01.12.2022

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 01.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोली श्री अमन सिंह के नेतृत्व में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 419/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र घूरू उर्फ गुरू निवासी ग्राम सिकटिहा थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में महिला सम्बन्धी अपराध तथा पशु क्रूरता जैसे अपराध में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त अशोक उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

- **अभियुक्त का नाम व पताः-**
  - अशोक कुमार पुत्र घूरू उर्फ गुरू निवासी ग्राम सिकटिहा थाना कोतवाली देहात सीतापुर।

- **अभियोग (जिसमें अभियुक्त वांछित था)**
  - मु0अ0स0 419/2022 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक उपरोक्तः –**
  1. मु0अ0स0 95/06 धारा 354 भा.द.वि व 3(1) SC/ST एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर।
  2. मु0अ0सं0 247/19 धारा 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर।
  3. मु0अ0स0 419/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर।

- **पुलिस टीम थाना इमलिया सुल्तानपुर-**
  1. उ0नि0 श्री फैय्याज अली
  2. आरक्षी शिवशंकर
  3. आरक्षी रजत भारती